(वाद संख्या–7436/17)

12.12.2019

परिवादी, अरूण कुमार दिवाकर, उपस्थित हैं।

पुलिस अधीक्षक, नवादा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

पुलिस अधीक्षक, नवादा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के चचेरे भाई, जितेन्द्र यादव एवं फुआ सकली देवी, की गोली मारकर हत्या करने तथा उसकी दादी को गंभीर रूप से घायल करने से संबंधित कौआकोल थाना कांड संख्या–26/2006, दिनांक–04.04.2006 के अन्तर्गत प्राथमिकी के पांचों नामांकित अभियुक्तों को ''फरार'' दर्शाते हुए भा0द0स0 की धाराओं, 302/307/324/326/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अनुसंधानोंपरान्त न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है।

परिवादी के ज्येष्ठ भ्राता, तरूण कुमार की हत्या से संबंधित कौआकोल थाना कांड संख्या–79/2007 के अन्तर्गत सात प्राथमिकी अभियुक्तों में से तीन प्राथमिकी अभियुक्तों तथा एक अप्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधानोपरान्त प्रथम आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। पूर्ण अनुसंधानोपरान्त एक प्राथमिकी अभियुक्त को निर्दोष दर्शाते हुए शेष तीन प्राथमिकी अभियुक्तों को ''फरार'' दर्शाते हुए पूरक आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है।

अपने प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक का यह भी कथन है कि उपरोक्त दोनों कांडों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी दल गठित कर कार्रवाई की जा रही है तथा इस संबंध में छापामारी दल को समय–समय पर दिशा–निर्देश भी दिया जा रहा है। वर्तमान में फरार अभियुक्तों के बिहार से बाहर किसी अन्य राज्य में होने की पुष्टि भी हुई है जिसके संबंध में आसूचना संग्रह की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का अपने प्रतिवेदन में यह भी कथन है कि कौआकोल थाना कांड संख्या–148/19 के अन्तर्गत स्वयं परिवादी तथा उसके भाई, वरूण कुमार दिवाकर उर्फ वरूण यादव के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 364/302/201/120बी. शस्त्र अधिनियम की धारा–27 व अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा–3 (2) (V) के अन्तर्गत उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है।

परिवादी का कथन है कि उसकी ओर से कौआकोल थाना कांड संख्या–79/2007 व उपरोक्त कथित अन्य कांड में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में

एक CWJC N0.- 2075/18 भी दाखिल किया गया है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है।

अब, जबकि परिवादी की ओर से आयोग के समक्ष दाखिल परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को लेकर माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक CWJC N0.- 2075/18 दाखिल किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर समान मामले में सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिवादी माननीय उच्च न्यायालय से विधिनुसार अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक